न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12 (RTI) / 13 / 2026 रजि० नं० 2026 / 71 प्रवेश तिथि 10.04.2026

अपीलार्थी :–	प्रत्यर्थी :–
देवी सिंह महलावत पूर्व व्याख्याता शास्त्री कालोनी अलवर रोड किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

–: निर्णय :– दिनांक 06.05.2026

1– अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान) को प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 01.12.2025 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2– अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3– अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान) से जरिये नोटिस कंमाक 449 दिनांक 15.04.2026 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 22.04.2026 को उपस्थित आवें। नियत तिथी को अपीलार्थी उपस्थित नही हुआ।

4–राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान) ने जर्ये पत्राक लोक. सूचना /2026/601(C) दिनाक 22.11.2025 के द्वारा जवाब पेश किया गया है, मुताबिक जवाब के अपेक्षित सूचना अपीलार्थी पूर्व पत्राक 131 दिनाक 02.02.2026 के द्वारा भिजवायी जा चुकि है, जिसकी प्रति संलग्न की गयी है। प्रकरण में प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है, अपीलार्थी द्वारा पेश प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 01.12.2025 में वर्णित सूचना के बाबत की गयी कार्यवाही की सूचना अपीलार्थी को एक माह गुजरने के पश्चात विलम्ब से भिजवायी गयी है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानानुसार नियत समयवधी में ही निस्तारण किये जाने का प्रावधान है, भविष्य में नियत समयवधी का विशेष ध्यान रखा जावे।

5–पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा समुचित जवाब प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही किया जाना शेष नही है, अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

6–अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित–प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।

7–आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा